कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–मा / छाप्रोप्र / ए / शालादर्पण / 2017–18 दिनांक : 08.01.2018

अत्यावश्यक
आज ही

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा (प्रथम / द्वितीय)

विषय : शालादर्पण पर प्रारम्भ किए गए छात्रवृत्ति के मॉड्यूल में कार्य सम्पन्न कर फाईनल सबमिट आवश्यक रूप से निर्धारित समयावधि दिनांक 10.01.2018 तक करने हेतु।
प्रसंग : इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक–15.12.2017 एवं 29.12.2017

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में जैसा कि विदित ही है, शालादर्पण पर प्रारम्भ किए गए छात्रवृत्ति मॉड्यूल पर कार्य सम्पन्न करने की अन्तिम तिथि 10.01.2018 नियत है। चूंकि अंतिम 03 दिवस शेष हैं अतः निर्देशित किया जाता है कि शालादर्पण पोर्टल पर समस्त अपेक्षित कार्य सम्पन्न कर आवश्यक रूप से समस्त डाटा को फाईनल सबमिट किया जाना है। इस हेतु फाईनल सबमिट बटन क्लिक करने पर संस्थाप्रधान के मोबाईल नम्बर पर (जो कि शाला दर्पण पर पंजीकृत है) एक ओ.टी.पी. आएगा जिसे शालादर्पण पर अंकित कर फाईनल सबमिशन किया जा सकेगा। ध्यान रहे फाईनल सबमिट न करने पर डाटा आपके विद्यालय से उच्च स्तर पर स्थानान्तरित नहीं हो पाएगा तथा विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाएगें।

अन्य समस्त निर्देशादि प्रासंगिक पत्रों के अनुरूप रहेंगे। समस्त प्रक्रिया निर्देशानुसार सम्पन्न करने का दायित्व सम्बन्धित संस्थाप्रधान का एवं प्रभावी मॉनिटरिंग का दायित्व संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी का होगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही के कारण किसी भी पात्र विद्यार्थी (जिसने तय समयावधि में अपना आवेदन पत्र मय आवश्यक संलग्नकों के प्रस्तुत कर दिया था) के वंचित रहने पर अथवा विद्यालय से छात्रवृत्ति प्रस्ताव अप्राप्त रहने पर समस्त उत्तरदायित्व संस्थाप्रधान का तय करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जावे एवं सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव तैयार कर मय आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र एवं प्रपत्र अ,ब,स,द अविलम्ब इस कार्यालय को प्रेषित करें।

(हस्ताक्षर) 08.1.18
प्रभारी अधिकारी छात्रवृत्ति
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–मा / छाप्रोप्र / ए / शालादर्पण / 2017–18 दिनांक : 08.01.2018

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप–6) विभाग, जयपुर
2. समस्त मण्डल उप–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान को प्रभावी प्रबोधन एवं मॉनेटरिंग हेतु।
3. **समस्त संस्थाप्रधान रामावि / राबामावि / राउमावि / राबाउमावि को अनिवार्यतः पालनार्थ।**
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट एवं शालादर्पण पर अपलोड करने बाबत।

(हस्ताक्षर) 08.1.18
प्रभारी अधिकारी छात्रवृत्ति
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर